मु.नं.–22 / 2021 GCMS ID-2021/35 ता.रजु–04.03.2021

२

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा, निवासी पालों की हटरिया, छतपाड़ा, करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–24.03.2021

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) राज्य सरकार द्वारा करौली जिले को अन्त्योदय आवंटन कब व कितना किया (2) करौली शहर के 30 डीलरों ने ये अनाज कब लिया उनके बिलों की प्रमाणित आदि, आदि कुल 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–रसद / आरटीआई / 2021 / 1175 दिनांक 15.03.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक 7939 दिनांक 09.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से उनके कार्यालय के विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं है। पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है।
5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।
6. अपीलार्थी ने बहस के दौरान उक्त विनिश्चय से संतुष्ट होना बताया एवं कोई आपत्ति नहीं की।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया है एवं अपीलार्थी उक्त विनिश्चय से संतुष्ट है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना भी स्पष्ट नहीं है। अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली